न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 335/2017

रामस्वरूप पुत्र श्री मानाराम आयु लगभग 20 वर्ष, जाति कुमावत निवासी ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर।

–अपीलार्थी–

बनाम

1. रामनारायण पुत्र तेजा
2. गंगाराम पुत्र तेजा
3. मालीराम पुत्र स्व लालाराम
4. रामभजन पुत्र स्व. लालाराम
5. कानाराम पुत्र रामनारायण
6. मुकेश पुत्र मानाराम
7. शैतान पुत्र मानाराम
8. मंजू देवी पत्नी मुकेश

   समस्त जाति कुमावत निवासी– कालवाड तहसील व जिला जयपुर राज0।
9. रामचन्द पीपलोदा पुत्र अर्जुनलाल जाति जाट, निवासी करेली की ढाणी, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड जयपुर।
10. राजेन्द्र चौधरी पुत्र गोपाल चौधरी, जाति जाट, निवासी ठाकरसी की ढाणी बीड हाथोज कालवाड रोड जयपुर
11. रमेश चन्द पुत्र रामचन्द, जाति गुर्जर, निवासी दहमीखुर्द, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
12. राकेश चौधरी पुत्र हरिनारायण चौधरी, जाति जाट, निवासी हिम्मतपुरा, पोस्ट मुण्डियारामसर, तहसील व जिला जयपुर।
13. रामदेव पुत्र जीवनराम जाति जाट, निवासी भांसिहपुरा, तहसील फूलेरा, जिला जयपुर।
14. उप पंजीयक तृतीय झोटवाडा पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंटस–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री भगवान सहाय शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री के.आर. शर्मा रेस्पोडेंटस संख्या 1, 6 व 8 लगायत 13 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:– निर्णय :– दिनांक :– 20–02–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.04.2017 उनवानी रामस्वरूप बनाम रामनारायण व अन्य न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 17/2017 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने एक वाद घोषणा, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कालवाडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 164/1184 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 115/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 114/1 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 164/1188 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक अविभाजित भूमि है जो प्रार्थी के परदादा तेजा की खातेदारी की भूमि थी। जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार निहित होने कर कथन किया कि वाद के अंन्तिम निर्णय तक अप्रार्थीगण को प्रतिबन्धित किया जावे कि वादग्रस्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे, प्रार्थी को कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करे। प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। दिनांक 27.04.2017 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जिससे पीडित होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.04.2017 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विक्रेता रामनारायण को संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सहदायिकी सम्पति में अविभाजित हिस्से का विक्रय व दान करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं था उक्त विक्रय अपीलार्थी के हिस्से तक कानूनन प्रभाव शुन्य है। वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि है प्रार्थी के परदादा स्वर्गीय तेजा की खातेदारी की भूमि रही हैं जो तेजा की फौती पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 747 दिनांक 19.01.1988 के द्वारा प्रार्थी के दादा रामनारायण एवं उनके भाई लालाराम, गंगाराम के नाम स्वीकृत हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी है। पत्रावली पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश दिये जिसे पर दिनांक 17.04.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस पेश किये गये। बइन्तजार नोटिस पत्रावली दिनांक 20.04.2017 को नियत की गई। अप्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

संख्या 5 व 7 उपस्थित आये तारीख पेशी दिनांक 26.04.2017 नियत की गई। दिनांक 27.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई हेतु निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की मौखिक बहस के आधार पर एवं अप्रार्थी संख्या 5 व 7 की उपस्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उपयुक्त नहीं मानते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा पारित आदेश मनमाना तथा अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर पारित किया गया आदेश है जो निरस्तनीय है। रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को तामील दिनांक 11.04.2017 को जारी की गई साधारणतः तामील रजिस्टर्ड डाक जारी होने की दिनांक से तीन दिवस में प्राप्तकर्ता के पास डिलीवर हो जाती है। प्रश्नाधीन प्रकरण में दिनांक 11.04.2017 को नोटिस जारी होने के 16 दिवस पश्चात तारीख पेशी दिनांक 27.04.2017 को बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने शेष अप्रार्थीगण की उपस्थिति के पश्चात ही अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रदान करना अपने आदेश में माना है जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। चूंकि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानूनन आवश्यक था। दस्तावेजी साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह बखूबी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार है तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष में सबल था। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह बखूबी स्पष्ट है कि भूमि विवादग्रस्त जो सुयंक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि है में प्रार्थी के दादा रामनारायण द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय, दान किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 रामनारायण अपने दूसरे पौत्र अप्रार्थी संख्या 6 के बहकावे में है। अप्रार्थी संख्या 6 ने अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 8 मजूं देवी के नाम अप्रार्थी संख्या 1 जो कि 86 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है से दान पत्र करवा लिया अब उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू है। उक्त परिस्थिति में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक था लेकिन सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गंभीर दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु तय किया जाना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तीनों बिन्दुओ का उल्लेख नहीं किया जो अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय आज्ञापक है। अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 को खारिज किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाने हेतु कि वे वादग्रस्त भूमि का विक्रय हस्तान्तरण आदि नहीं करे और ना ही प्रार्थी को उसकी पैतृक संयुक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कब्जे काश्त की आराजियात से बेदखल नहीं करे मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील के दौरान दिनांक 28.12.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत कर नामान्तरण संख्या 747 दिनांक 18.01. 1988, नामान्तरण संख्या 653 दिनांक 22.01.1985, जमाबन्दी संवंत 2018 से 2021 तथा खतौनी संवंत 2015 से 2034 ग्राम कालवाड रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1, 6 एवं 8 ल0 13 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मीमों में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया गया कि विक्रेता रामनारायण को संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सहदायिकी संम्पति में अविभाजित हिस्से का विक्रय व दान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था उक्त विक्रय अपीलार्थी के हिस्से तक कानून प्रभाव शुन्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संम्पति में प्रत्येक सहदायिक का हक अधिकार निहित है। जैसा कि डीएनजे राज. 2012 (3) पेज 1357, एच.सी. आरबीजे. 2003 पेज 245 एच0सी0 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। दस्तावेंजी साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह बखूबी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार है तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष में सबल था। आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 590 में संयुक्त परिवार की आराजी में भूमि को वेस्ट, डेमेज, ऐलिवियेशन को रोकने के लिए विवादित भूमि में टी0 आई0 जारी कर यथास्थिति के आदेश पारित किये हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू तय किया जाना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तीनों बिन्दुओं का उल्लेख नहीं किया जो अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विचार करते समय आज्ञापक है। धारा 212 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित प्रत्येक आदेश धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपील योग्य है। जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1985 पेज 357 एलबी, आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 256 माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी एआईआर 2016 (Noc) 289 में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पोषनीय माना है। वाद जहां पैतृक अधिकार की घोषणा के संबंध में है, वहा वादी के हित की घोषणा राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र पर विचार किये बिना कर सकता है। अपीलार्थी ने आदेश 41 नियम 27

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

सी0पी0सी0 के तहत जमाबन्दी, एवं नामान्तरकरण की प्रति पेश की है। जिससे अपीलार्थी का कथन साबित होता है। आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जा चुका है। निर्णय दिनांक 27.04.2017 को खारिज किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम आदेश पारित कर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट को प्रतिबन्धित किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि का विक्रय हस्तान्तरण आदि नहीं करे और ना ही प्रार्थी को उसकी पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजियात से बेदखल नहीं करे मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 6, 8 ल0 13 की ओर से अपनी लिखित बहस में कथन किया गया कि निर्णय दिनांक 27.04.2017 के विरूद्ध माननीय के समक्ष अपील गलत आधारों पर प्रस्तुत की गई, जो निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश दिनांक 27.04.2017 अपील की श्रेणी में नही आता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये जाने के ही आदेश दिये गये थे। रेस्पोडेंट द्वारा रजिस्टरर्ड ए0डी0 नोटिस दिनांक 17.04.2017 को जारी किये जो लौटकर नहीं आये, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही एक माह का समय पश्चात् की जानी थी। यह आदेश अपीलाधीन आदेश नहीं है ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलाधीन आराजियात हिस्से अनुसार रेस्पोडेंट संख्या–12 की खातेदारी व कब्जे काश्तकारी भूमि है। जिसमें अपीलार्थी का किसी प्रकार से संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 164/11184, 164/1188 पैतृक भूमि न होकर रेस्पोडेंट संख्या–1 को अलोटेड जमीन थी। जिस पर किसी का भी हक व अधिकार निहित नहीं है। ना ही उक्त भूमि पैतृक भूमि है। अपीलाधीन भूमि कें संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक किया जाकर नामान्तरकण पूर्व में ही दर्ज किया चुका है। विक्रय पत्र को जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा ले तब तक उक्त प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलाधीन भूमि कभी भी रामस्वरूप के दादा के नाम दर्ज हो रही हो। उक्त भूमि रामनारायण की स्व–अर्जित भूमि थी। जिस पर अपीलार्थी का किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। रामस्वरूप के जीवनकाल में जो अपील प्रस्तुत की है व पूर्णत विधि विधान के विरू0 होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथमदृष्टया वाद अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है व अपूरणीय क्षति अपीलान्ट को होने की पूर्ण संम्भावना नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.04.2017 को वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश दिये थे। उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली तलब की जाकर दिनांक 18.04.2017 उसके उपरान्त 20.04.2017 उसके उपरान्त 26.04.2017, एवं

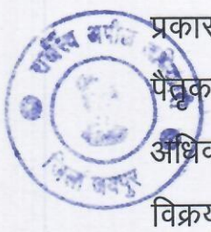

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उसके उपरान्त 27.04.2017 को नोटिस जारी हो की आदेशिका अंकित कर दिनांक 27.04.2017 को बंइतजार तलबी व बिना सुने स्थगन जारी नहीं करने की आदेशिक अंकित की है। उसके उपरान्त भी न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की अपीलाधीन आदेश मानकर अपील स्वीकार की गई जो पूर्णत विधि विधान के विरूद्ध है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से ही स्पष्ट है कि उक्त आदेश अपील योग्य नहीं है। उक्त आदेश अन्तरिम व अन्तिम निर्णय नहीं हैं। रेस्पोडेंट संख्या –12 अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हे। अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेंट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या 12 को उसके हक हकूकों से वंचित करने की कुचेष्टा से प्रस्तुत किया है। इसी आधार पर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व मंडल की वृहद पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्तरिम आदेश की अपील श्रवण योग्य नहीं है ना ही उसे बिना पक्षकारों को सुने आदेश पारित किये जा सकते हैं। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया।अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में प्रार्थी द्वारा सजरा खानदान अंकित किया गया है तथा प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में वादग्रस्त भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा का विवरण अंकित कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि है। प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि सभी पक्षकार मनबट अनुसार अपने–अपने हिस्से के काबिज काश्त चले आ रहे हैं परन्तु भूमि का विधिवत रूप से तकासमा नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 164/1184 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा प्रार्थी के दादा रामनारायण को आंवटित की गई भूमि है तथा शेष भूमि कुल रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा प्रारम्भ में उनके परदादा तेजा की खातेदारी थी जिसमें प्रार्थी के दादा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि वह अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी संख्या 6 जो आदतन अपराधी हैं व उसकी पत्नी अप्रार्थी संख्या 8 मंजूदेवी के बहकावे से प्रार्थी के दादा जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है की नियत में फितूर आ जाने से प्रार्थी, प्रार्थी के पिता व प्रार्थी के भाईयों को भूमि में हिस्सा दिये बगैर उक्त भूमि को बेचान व हस्तान्तरण करने पर उतारू है तथा अप्रार्थी संख्या 8 के हक में उपहार पत्र भी पंजीबद्ध करवा दिया गया है। प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति है जो अप्रार्थी संख्या 6 व 8 के प्रभाव में होने से भूमि में कतिपय विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिये है तथा नामान्तरकरण भी खुल गये हैं। अप्रार्थीग्ण संख्या 1, 6, 8 लगायत 13 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दिनांक 26.03.2017 को कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा धमकी दी कि प्रार्थी को उसका हिस्सा दिये बगैर ही उसे बेदखल कर देगें एवं वादग्रस्त आराजियात का बेचान दीगर व्यक्तियों को करे देगें। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त तथ्यों का वर्णन करते हुए निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा के किसी भी भाग में प्रार्थी के शान्तिपूवर्क कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, निर्माण कार्य से निषिद्ध रहें, बेचान नही करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा सजरा खानदान अंकित करते हुए वादग्रस्त भूमि रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थी के दादा रामनारायण पुत्र तेजा का 1/3 हिस्सा होना कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।सजरा खानदान में रामनारायण एवं इसके अलावा रामनारायण की पत्नी केशरी, पुत्र मन्नाराम, मालीराम, रामभजन तथा पौत्र मुकेश, शैतान, रामस्वरूप , विमला, नानू होना अंकित किया गया है। प्रार्थना पत्र में केशरी, विमला व नानू को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा वादग्रस्त आराजियात मात्र प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की पैतृक भूमि होने का कथन किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विरोधाभासी तथ्य अंकित किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि वह अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि के कितने अविभाजित हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को पढने मात्र से ही स्पष्ट है कि वह अधिक से अधिक अपने दादा रामनारायण के हिस्से की भूमि से ही अपने हक अधिकार होने का कथन कर सकता है जबकि उसने समस्त भूमि 30 बीघा 10 बिस्वा जिसमें तेजा के अन्य वारिस पुत्र लाला व गंगाराम के खाते में दर्ज भूमि भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जिसका प्रथमदृष्टया कोई आधार उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा सजरा खानदान में केशरी, मानाराम, मालीराम व रामभजन को रामनारायण के वारिस होना दर्शाया है जबकि प्रार्थना पत्र के उनवान में माली राम व रामभजन को स्व. लालाराम के पुत्र होना अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र विरोधाभासी एवं अस्पष्ट तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने जीवित दादा की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि में हिस्सा चाहने बाबत् दावा प्रस्तुत किया गया है जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की नियमित सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर किया जाना संभव हो सकेगा परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारो को संयोजित नहीं करने, विरोधाभासी तथ्य अंकित करने तथा अपने हिस्से का स्पष्ट अंकन नहीं करने के दोषो से ग्रसित होने के कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 27.04.2017 में अप्रार्थीगण को सुने बिना अन्तरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं माना हैं जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी

अजरव अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपीलान्ट द्वारा अपील के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के तहत नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी की जो प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है उनसे यह तो स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में तेजा के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी जो उनकी मृत्यु के पश्चात् रामनारायण, लाला एवं गंगाराम पुत्रान तेजा का नाम दर्ज हुई है तथा लाला की मृत्यु के उपरान्त उसके हिस्से की भूमि उसके स्थान पर संज्या देवी पत्नी लालाराम, रामभजन, मालीराम पिसरान लाला के हक में दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा संज्या देवी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि तेजा तथा तत्पश्चात रामनारायण एवं तेजा के अन्य वारिससान के नाम दर्ज होना तो स्पष्ट है परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से यह कतई स्पष्ट नहीं होता हैं कि रामनारायण के वारिस वर्तमान समय तक कौन–कौन है एवं उनका संयुक्त पैतृक सम्पति में कितना–कितना अविभाजित हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्पष्ट, विरोधाभासी तथ्यों पर आधारित होने एवं प्रार्थी के तथाकथित दादा रामनारायण के अलावा अन्य खातेदारों की भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाहे जाने से प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस होना बिल्कुल भी साबित नहीं है तथा यदि इन तथ्यों के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकारों को निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी खातेदारान को होगी तथा वे अपने विधिक अधिकारों से महरूम हो जावेंगे। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अस्पष्ट, विरोधाभासी होने तथा प्रार्थी स्वयं द्वारा कथित संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये है वे हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चस्पा नहीं होते है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रस्तुत किये जा चुके है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त दस्तावेजात से भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कोई बल नहीं प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तथा उपरोक्त वर्णित विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक बल रहित होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है एवं उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस, अपूर्णीय क्षति एवम सुविधा का संतुलन नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 20–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर